



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223810
CG-DL-E-19122020-223810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4040]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 4040]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4603(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के धारा -3 की उप धारा (3) और उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, व खंड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 13 अक्टूबर 2017, को प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना संख्याक का.आ. 3326 (अ) 13 अक्टूबर 2017, को उन बातों के सिवाय ऐसे अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किए गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत के भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
1	डा० अजमेर डोगरा निदेशाक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
2	डा० आर. के. रोकडे निदेशाक, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
3	डा० वंगला लक्ष्मण रेडडी निदेशाक, पशुपालन विभाग, तेलंगाना सरकार	सदस्य
4	डा० बी० एस० लौरा निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य

5	डा० हाओबीजम चाओबा सिंह निदेशाक, पशुपालन विभाग, मणिपुर सरकार	सदस्य
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (ब) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
6	डा० नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़	सदस्य
7	डा० गुरुदयाल सिंह कुलपति, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी आफ वेटिनरी एण्ड ऐनीमल साइंस, हिसार हरियाणा	सदस्य
8	डा० विशनू शर्मा कुलपति, राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वेटिनरी एण्ड ऐनीमल साइंस, बीकानेर, राजस्थान।	सदस्य
9	डा० एन० एच० केलावाला कुलपति, कामधेनू यूनिवर्सिटी गांधीनगर, गुजरात	सदस्य
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
10	डा० बी० एन० त्रिपाठी डीडीजी (पशुविज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) नई दिल्ली	सदस्य
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
11	डा० प्रवीण मलिक पशुपालन आयुक्त, पशुपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य पदेन
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
12	डा० सुलेखा एस० एल० सहायक आयुक्त, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
13	डा० डालचंद वर्मा प्रधान, राज्य पशु चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
14	डा० डण्डेश्वर डेका आसाम पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा संगम	सदस्य

[फा. सं. के. 12052-5(5251)/12/2016-एल.एच.-भाग(2)]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4603(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (3) and (6) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) number S.O.3326 (E) dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 13th October, 2017 except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby nominated the following persons as members of the Veterinary Council of India with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Members nominated by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) of Section 3		
1.	Dr. Ajmer Dogra Director, Department of Animal Husbandry, Government of Himachal Pradesh	Member
2.	Dr. R.K. Rokade Director, Department of Animal Husbandry, Government of Madhya Pradesh	Member

3.	Dr. Vangla Lakshma Reddy Director, Department of Animal Husbandry, Government of Telangana	Member
4.	Dr. B.S. Laura Director, Department of Animal Husbandry, Government of Haryana	Member
5.	Dr. Haobijam Chaoba Singh, Director of Animal Husbandry, Department of Animal Husbandry, Government of Manipur	Member
Members nominated by the Central Government under clause (b) of sub-section (3) of Section 3		
6.	Dr. Narayan Purushottam Dakshinkar Vice Chancellor, Chattisgarh Kamdhenu University, Durg, Chattisgarh	Member
7.	Dr. Gurdial Singh Vice Chancellor Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar, Haryana	Member
8.	Dr. Vishnu Sharma Vice Chancellor Rajasthan University of Veterinary and animal sciences, Bikaner, Rajasthan	Member
9.	Dr. N.H. Kelawala Vice Chancellor Kamdhenu University Gandhinagar, Gujarat	Member
Members nominated by the Central Government under clause (c) of sub-section (3) of Section 3		
10.	Dr. B.N. Tripathi DDG (Animal Sciences), Indian Council of Agriculture Research (ICAR), New Delhi	Member
Members nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of Section 3		
11.	Dr. Praveen Malik Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India	Member (ex-officio)
Members nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (3) of Section 3		
12.	Dr. Sulekha S.L Assistant Commissioner (AH), Department of Animal Husbandry & Dairying Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Krishi Bhavan New Delhi	Member
Members nominated by the Central Government under clause (h) of sub-section (3) of Section 3		
13.	Dr. Dal Chand Verma President, State Veterinary Council Uttar Pradesh	Member
Members nominated by the Central Government under clause (i) of sub-section (3) of Section 3		
14.	Dr. Dandeswar Deka Assam Animal Husbandry & Veterinary Service, Association	Member

[F. No. K-12052-5(5251)/12/2016-LH-Vol (2)]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.